न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 79/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पूनमाराम पुत्र ताजराम जाट निवासी– पायला कलां, तहसील सिणधरी, बाडमेर		1. हरचन्दराम पुत्र धमडाराम 2. किशनाराम पुत्र भैराराम जाट निवासीगण– पायला कलां, तहसील सिणधरी, बाडमेर 3. उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी। 4. तहसीलदार, सिणधरी, बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 1101.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 655/2021 अनवान सरकार बनाम पूनमाराम वगैराह को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री दिगविजयसिंह, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री भीकसिंह भाटी, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
4– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3,4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16 फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम पायलां कला तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 612 रकबा 3.3574 हैक्टर भूमि का खातेदार है और वहॉ पर निवास करता आ रहा है। पटवारी हल्का पायलां कला के द्वारा कदीमी रास्ता का प्रकरण धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत खसरा संख्या 616/2 को रास्ते से जोडने के लिये में बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के समक्ष पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 11.01.2022 रखी गई और उसी दिन अपीलान्ट को बिना नोटिस भेजे एकतरफा कार्यवाही कर बहस सुनी कर पत्रावली में अपीलाधीन आदेश के जरिये खसरा संख्या 612, 616/2 की रकबा भूमि में राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्य की भूल की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये ही आदेश पारित किया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि वर्णित भूमि अपीलान्ट के खसरा संख्या 612 के पडौसी खातेदार के ख0सं0 616/2 को रास्ते से जोडने के लिये यह प्रकरण बनाकर पेश किया जिसके सम्बन्ध में कोई मौका रिपोर्ट मय तलबी पटवारी के द्वारा नहीं

करवाई गई। पटवारी हल्का के द्वारा उक्त रास्ते को मात्र ख0सं0 616/2 को उनके खेत तक नहीं पहुंचा कर उनके घर तक का कटाण करवाया गया है जबकि मौके पर ऐसा कोई मार्ग नहीं चल रहा है और न ही मौतबिरान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता घोषित/दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। पटवारी हल्का के द्वारा एक मात्र रेस्पोडेन्ट को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से तैयार कर पेश किया गया और प्रकरण में अन्य व्यक्ति रेस्पो0 संख्या 2 का भी उसी खसरे में घर है, उनके घर तक मार्ग नहीं पहुंचाया गया जबकि कदीमी रास्ता आमजन के आने–जाने व सार्वजनिक उपयोग के लिये होता है। वादग्रस्त भूमि का खसरा संयुक्त रूप से कटा है जबकि फायदा एकमात्र रेस्पो0 संख्या एक को पहुंचाया गया है। विधि अनुसार 612/2 खसरान भूमि को रास्ते से जोडने के लिये राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में रास्ता देने के लिये प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित करनी चाहिये थी। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकारान को को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील पेश की गई है वह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के तहत अपीलाधीन प्रकरण को निर्णित किया गया है ऐसे में अपील कानूनन पोषनीय नहीं होने से व विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित खसरान भूमि में से कई वर्षो से रास्ता चल रहा है एवं आमजन के उपयोग व उपभोग में आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि का अंकन बारानी अव्वल व बारानी सोयम अंकित किया हुआ है।

वकील रेस्पो0 संख्या एक ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा रास्त सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में खातेदारी भूमियों में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु ग्राम पायला कंला तहसील सिणधरी में वादग्रस्त खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रकरण तैयार करवाया एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज किया जाकर सम्बन्धित खातेदार/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए तथा तहसीलदार व पटवारी की ओर से पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त दिनांक 11.1.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है एवं ऐसे में प्रस्तुत अपील में सारहीन व आधारहीन एवं मनगढत तथ्य अंकित किये गये है वो भी अस्वीकार करने योग्य है।

तक ही रास्ता पहुंचाया गया है, वो तथ्य पूर्ण रूप से रेकर्ड से विरोधाभासी है एवं मिथ्या भरे है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्य की पालना करते हुए ग्राम पायला कलां के उपरोक्त खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ता का अंकन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से गैर मुमकीन रास्त दर्ज करवाने हेतु नियमानुसार प्रकरण तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है वो उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

वकील रेस्पो0 संख्या दो ने यह भी लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने निजी फायदे के लिये खेत खसरान भूमि के किनारे पर उक्त रास्ते को नहीं छोड कर संयुक्त खेत का बिना बंटवाडा कराये संयुक्त हिस्सा भूमि को रास्ता काट कर मात्र अपने घर तक रास्ता पहुंचाया है जो गलत है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन विधि व तथ्यों की भूल करते हुए पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को अपने घर तक पहुंचने हेतु रास्ता नहीं देकर उनके घर तक पक्का रास्ता बनाने से वंचित रखा गया है जबकि स्वयं के घर तक रास्ता करवा लिया गया है, जबकि हम दोनों खातेदारों की संयुक्त भूमि में हिस्सा कटाण किया गया जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है।

वकील रेस्पो0 संख्या दो ने यह कथन किया कि यदि संयुक्त खेत का बंटवाडा कराने के बाद मेरा हिस्सा अलग होने के बाद जहॉ तक रास्ता लेकर जाना चाहे मुझे कोई एतराज नहीं है, बिना बंटवाडा के कारण मुझे अपनी हिस्सा भूमि का घाटा हो रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो0 संख्या दो को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि खसरा संख्या 616/2 मेरे हिस्सा भूमि में से भूमि का कटाण किया गया है। अतः इन आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलधीन आदेश निरस्त करावे एवं अपीलान्ट व किशनाराम को सुनवाई का उचित अवसर देकर व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार सिणधरी की ओर से ग्राम पायलांकला में उल्लेखित खसरान भूमि में से चल रहे कदीमी रास्ता भूमि/रास्ते के उपयोग में आ रही खसरान की रकबा भूमि को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कराने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रकरण को नियमानुसार दर्ज करते हुए सम्बन्धित खातेदारान को नोटिस जारी करने व सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है अतः उक्त अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 के क्रम में तहसीलदार, सिणधरी को

अधिकारी, सिणधरी उक्तानुसार तैयार मौका फर्द व उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 16 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर